

प्रेषक,

अभिनितम उपाध्याय  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
न्यायालय सं०-03, फर्रुखाबाद।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक  
माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय,  
प्रयागराज।

द्वारा,

श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फर्रुखाबाद।

विषय: उ०प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-  
2024/301(1)/2024 दिनांकित 28-06-2024 एवं शासनादेश संख्या-20/  
2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 11-07-2024 के  
अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी पत्रांक 9691/IV-F-82(Pension)  
/Admin.(A) दिनांकित 16-07-2024 के अनुपालन में विकल्प पत्र।

महोदय,


उपरोक्त के सन्दर्भ में सादर निवेदन है कि उ०प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या  
14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 28-06-2024 एवं शासनादेश  
संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 11-07-2024 से पुरानी  
पेंशन योजना में सम्मिलित होने हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। उक्त शासनादेश के  
अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी पत्रांक संख्या 9691/IV-F-82(Pension)/Admin.(A)  
दिनांकित 16-07-2024 के अनुपालन में मेरे द्वारा पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने हेतु अपना विकल्प  
पत्र निर्धारित प्रारूप पर इस पत्र के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि संलग्न विकल्प पत्र को माननीय उच्च न्यायालय के  
समक्ष सादर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

दिनांक: 20-07-2024

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय



(अभिनितम उपाध्याय)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
न्यायालय सं०-03, फर्रुखाबाद।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश

पत्रांक-1880/XV दिनांक-20.07.2024

अग्रसारित  
  
जनपद न्यायाधीश  
फर्रुखाबाद